दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 1487/1993

श्री पी.जी. पुरुषोत्तमन ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अरूण बीरबल, अधिवक्ता

बनाम

बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रमोद बी. अग्रवाल, अधिवक्ता
श्री नितिन कांत सेतिया, अधिवक्ता
सुश्री प्रवीणा गौतम, अधिवक्ता

निर्णय की तिथि:
03.07.2008

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं?

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए?

: **<u>न्या. प्रदीप नंदराजोग</u>**

1. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. याचिकाकर्ता, जो प्रथम प्रत्यर्थी बैंक का कर्मचारी है, को दिनांक 14.5.1986 के ज्ञापन के माध्यम से आरोप-पत्र जारी किया गया था। उसने एक जवाब प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति की तथा जाँच अधिकारी को जाँच करने तथा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

3. जाँच अधिकारी ने 15.7.1988 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जो याचिकाकर्ता के प्रतिकूल थी।

4. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट याचिकाकर्ता को भेजी गई और जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता का जवाब प्राप्त होने के बाद, दिनांक 27.3.1989 के आदेश के अंतर्गत, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया, साथ ही यह भी अनुबंध किया गया कि बर्खास्तगी भविष्य में रोज़गार के लिए अयोग्यता के रूप में कार्य करेगी।

5. अनुशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 8.1.1990 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्राधिकरण के समक्ष दायर पुनर्विलोकन

याचिका को पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.5.1990 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. इस याचिका में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण और पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी गई है।

7. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय (भारत संघ) का दिनांक 21.7.1984 का निर्देश प्रभाव में था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सभी बैंकिंग संस्थाएँ अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कार्य करेंगी और केंद्रीय सतर्कता आयोग या वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से विचलित नहीं होंगी।

8. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 21.7.1984 को जारी किए गए उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रत्यर्थी बैंक ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित अभिलेख केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिए थे, जिसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी और याचिकाकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट/सलाह दिए बिना अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और पुनर्विलोकन प्राधिकरण ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिदेश के अनुसार कार्य किया, जिसका अर्थ है कि नैसर्गिक न्याय के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का

उल्लंघन किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से प्राप्त एक रिपोर्ट का उपयोग उसके विरुद्ध किया गया था।

9. आज की सुनवाई में 3 मुद्दों पर ज़ोर दिया गया। पहला, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है; प्रत्यर्थी बैंक ने याचिकाकर्ता को इसकी प्रति दिए बिना केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अंतर्गत काम किया। दूसरा मुद्दा यह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 21.7.1984 के निर्देश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1991 (3) एससीसी 219 *नागराज शिवराव करजगी बनाम सिंडिकेट बैंक* के रूप में प्रकाशित किए गए निर्णय में रद्द कर दिया था। प्रतिविरोध यह है कि प्रत्यर्थीगण को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट/सलाह को अनदेखा करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अंत में यह भी कहा गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण जाँच अधिकारी के कुछ निष्कर्षों से असहमत था और जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा असहमति के बिंदु याचिकाकर्ता को अधिसूचित नहीं किए गए थे। उच्चतम न्यायालय के 1998 (7) एससीसी 84 *पीएनबी बनाम कुंज बिहारी मिश्रा* के रूप में प्रकाशित किए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

10. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यद्यपि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त की गई थी, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण या पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा उस पर

विचार नहीं किया गया, उस पर भरोसा करना या उस पर कार्रवाई तो दूर की बात है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ किसी भी मुद्दे पर असहमति का कोई कारण दर्ज नहीं किया।

11. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने 21.7.1984 को एक निर्देश जारी किया था जिसमें सभी बैंकिंग संस्थाओं को यह आदेश दिया गया था कि बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में न केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह ली जानी चाहिए बल्कि यह सलाह बाध्यकारी होगी सिवाय इसके कि यदि उस पर कार्रवाई नहीं करनी हो या उसे संशोधित नहीं करना हो तो उसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग या वित्त मंत्रालय से पूर्व सहमति लेनी होगी।

12. उक्त निर्देश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने *नागराज* मामले (पूर्वोक्त) में 30.4.1991 को निरस्त कर दिया था। इसका अर्थ यह है कि जब इस मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 27.3.1989 को आदेश पारित किया और अपीलीय प्राधिकरण ने 8.1.1990 को अपील में आदेश पारित किया तथा पुनर्विलोकन प्राधिकरण ने भी 27.5.1990 को आदेश पारित किया, तब वित्त मंत्रालय का निर्देश प्रभावी था।

13. 1997 (11) एससीसी 444 *सत्येंद्र चंद्र जैन बनाम पीएनबी* के रूप में प्रकाशित किए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित

किया गया कि चूँकि उस मामले में निष्कासन का आदेश 16.11.1988 को पारित किया गया था और 21.7.1984 का निर्देश प्रभावी था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उक्त आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकरण उक्त निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा था। (पैरा 4 देखें)। यही पूर्वधारणा इस मामले में भी लागू होगी और इसलिए मैं बचाव में इस प्रतिविरोध को खारिज करता हूँ कि बैंक के प्राधिकारियों ने दिनांक 27.3.1989 का आदेश, दिनांक 8.1.1990 का आदेश और दिनांक 26.5.1990 का आदेश पारित करते समय केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह की अनदेखी की।

14. इस प्रकार, यदि किसी अन्य कारण से नहीं, तो तीनों आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और मामले को *नागार्जुन* मामले (पूर्वोक्त) और *सत्येंद्र चंद्र जैन* मामले (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और साथ ही एआईआर 1993 एससी 1197 *स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम डीसी अग्रवाल* के रूप में प्रकाशित किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रयोज्यता पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रतिपेषित किया जाना चाहिए, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकरण अपचारी कर्मचारी को संबंधित रिपोर्ट दिए बिना केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसाओं पर कार्य करता है, तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तदनुसार आदेश दिया गया।

15. चूँकि मैं मामले को प्रतिपेषित कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस मुद्दे पर जाने से परहेज करता हूँ कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जाँच रिपोर्ट से असहमति का उल्लेख दर्ज किया है, लेकिन प्रत्यर्थी को सावधान करता हूँ कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति का उल्लेख दर्ज करता है या दर्ज किया है, तो प्रतिपेषित किए जाने के चरण में *कुंज बिहारी* के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय का प्रत्यर्थी द्वारा पालन किया जाएगा।

16. चूँकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट का सख्ती से पालन करना अनिवार्य था, को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी अर्थात न तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण और न ही कोई अन्य प्राधिकरण केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विचार करेगा, उस पर गौर करेगा या उसका पालन करेगा, इसलिए इस सलाह को समग्र रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले पर नए सिरे से विचार करेगा और ऐसा करते समय जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के जवाब में अनुशासनात्मक प्राधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत

ज्ञापन में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सभी अभिवचनों पर विचार करेगा। उक्त ज्ञापन में किए गए सभी अभिवचनों पर विचार किया जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। यह बात पर फिर से ज़ोर दिया जाता है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण जाँच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति का कोई बिंदु दर्ज करता है, तो असहमति के बिंदु को सूचित करते हुए याचिकाकर्ता को एक नया ज्ञापन जारी किया जाएगा और याचिकाकर्ता को *कुंज बिहारी* के मामले (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के अनुपालन में असहमति के उक्त बिंदु (बिंदुओं) पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

18. यह उल्लेख करते हुए कि पर्याप्त समय बीत चुका है; दुर्भाग्य से इस न्यायालय में कार्यसूची में बहुत अधिक वृद्धि के कारण रिट याचिका 1993 से लंबित है, यह आशा और अपेक्षित है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले में तेज़ी लाएगा और वर्तमान आदेश की प्राप्ति के 3 महीने के भीतर नया निर्णय लेगा।

19. कोई जुर्माना नहीं।

न्या. प्रदीप नंदराजोग

03 जुलाई, 2008
डीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*